Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 13-10-2025

अंता(193) विधानसभा उपचुनाव- 2025 के लिए अधिसूचना जारी

नामांकन प्रक्रिया शुरू, 11 नवम्बर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा

पहले दिन 1 नामांकन पत्र दाखिल

स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ते की तैनाती

जयपुर, 13 अक्टूबर । भारत निर्वाचन आयोग ने अंता (193) विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अंता विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार 13 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। पहले दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से श्री प्रमोद जैन ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। नामांकन-पत्र अंता के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख सोमवार 27 अक्टूबर तय की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यक होने पर मतदान 11 नवम्बर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। 14 नवम्बर को मतों की गिनती की जाएगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 16 नवम्बर तक पूरी होगी।

नामांकन के लिए आवश्यक-

श्री महाजन ने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं उडन दस्ते की तैनाती

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने बताया कि अंता विधान सभा उपचुनाव-2025 की निगरानी के लिए 09 स्टेटिक सर्विलांस टीम और 09 उड़न दस्ते तैनात किए हैं। क्षेत्र में अंतरराज्यीय 13 और अंतरजिला 05 चेक पोस्टों की स्थापना कर दी गई है। उड़न दस्तों द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अवैध गतिविधियों की शिकायत पर तत्काल संबंधित स्थल पर जाकर कार्यवाही की जा रही है। व्यय अनुवीक्षण तंत्र द्वारा राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थीयों द्वारा चुनाव प्रचार एंव अन्य गतिविधियों पर किये जाने वाले समस्त व्यय पर सघन निगरानी रखी जा रही है। अब तक लगभग 35 लाख रूपए की जब्ती की जा चुकी है।